



BHAGWATI COLLEGE

(Affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut and Recognised by NCTE and BCI New Delhi)

दिनांक-20-08-2025

कार्यालय आदेश

भगवती कॉलेज ऑफ लॉ के समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या D.O.No.1-2/2024(SCT/Circular) दिनांक 10 January, 2025 के संदर्भ में महाविद्यालय में समान अवसर शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Grievance and Redressal Cell) का गठन सत्र 2025-26 के लिए किया जाता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. श्रीमति रूपम, सहायक अध्यापक, विधि विभाग | नोडल अधिकारी |
| 2. कु0 पिंकी सागर, सहायक अध्यापक, विधि विभाग | सदस्य |
| 3. श्री विनोद कुमार, सहायक अध्यापक, विधि विभाग | सदस्य |
| 4. श्री परमदीप, सहायक अध्यापक, विधि विभाग | सदस्य |

उक्त प्रकोष्ठ के दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संलग्न पत्र में दिये गये हैं। प्रकोष्ठ से अपेक्षा है कि उक्त के आलोक में अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:

1. विभागाध्यक्ष विधि विभाग।
2. श्रीमति रूपम, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
3. कु0 पिंकी सागर, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
4. श्री विनोद कुमार, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
5. श्री परमदीप, सहायक अध्यापक, विधि विभाग
6. प्रशासनिक कार्यालय।
7. श्री अरुण पवार कॉलेज की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(प्रिन्सिपल)
Bhagwati College of Law
Siwaya, Meerut

